न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/85

1. जुगल किशोर पुत्र रामकल्याण जाति छीपा निवीस आदर्श नगर कच्ची बस्ती लोडा मण्डी के पीछे सिन्धी कॉलोनी कोटा जवाहर नकगर, कोटा ।
2. कैलाश पुत्र स्व0 श्री रूपचन्द जी जाति छीपा निवासी खेडा चौराहा ।
3. नवल किशोर पुत्र स्व0 श्री रूपचन्द्र जी जाति छीपा निवासी खेडा चौराहा ।
4. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रूपचन्द्र जी जाति छीपा निवासी खेडा चौराहा जालखेडा ।
5. श्रीमती चन्द्रकान्ता बेवा स्व0 श्री रूपचन्द जी जाति छीपा निवासी गैस गोदाम के सामने खेडारसूलपुर चौराहा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र बिरधी लाल जाति माली निवासी ग्राम जालखेडा खेडा चौराहा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रामप्रताप पुत्र बिरधा जाति माली निवासी खेडा चौराहा जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजेश जोशी, ललित नागर, अभिभाषकगण, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 11.11.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था जिसके साथ एक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर 10 की 09 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 06 उनके पिता स्व0 बिरधा के समय से निरन्तर बहैसियत मालिक खातेदार काबिज चले आ रहे हैं । उनकी मृत्यु के बाद इंतकाल संख्या 70 से प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 06 तथा उनकी माता मंगली बाई बेवा बिरधा के नाम आराजी खाते दर्ज हुई और मंगली बाई की मृत्यु हो चुकी है । उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 10 की 09 बीघा 03 बिस्वा भूमि थी । सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 296 बनाये गये और रकबा 1.37 हैक्टर दर्ज किया गया है जबकि गत रकबे 09 बीघा 03 बिस्वा का नया रकबा 1.46 हैक्टर बनता है जो 1.37 हैक्टर दर्ज किया गया है गत रकबे के मुकाबले 0.09 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया गया है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाकर पूर्ववत सम्पूर्ण रकबा दर्ज कराने का अधिकारी है । सेटलमेंट विभाग को रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है । अप्रार्थी क्रम 1 से 5 ने गलत रूप से आराजी खसरा नम्बर 294 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 की 0.03 हैक्टर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जो कि वास्तव में खसरा नम्बर 296 का ही एक भाग है क्योंकि नक्शे के मुताबिक खसरा नम्बर 10 के आस–पास कोई सिवायचक भूमि नहीं है । अप्रार्थीगण गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर उक्त भूमि पर अवैध रूप से प्लाट काट कर लोगों को विक्रय करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई कूननी अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण क्रम 1 से 5 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि राजस्व रिकॉर्ड में किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण क्रम 1 से 5 उनके खाते की भूमि खसरा नम्बर 294 व 205 या उसके किसी भाग जिसमें कि प्रार्थी के गत खसरा नम्बर 10 की 0.09 हैक्अर भूमि दौराने सेटलमेंट गलत तौर से मिला दी गई है उस भूमि की अप्रार्थीगण न तो कोई किस्म परिवर्तन करावे और न ही उक्त भूमि के आबादी प्लाट काटकर अन्य लोगों को विक्रय करे तथा उक्त भूमि के 0.09 हैकटर रकबे पर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में ताकत के बल पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करें ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 से 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 15.02.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण क्रम 1 से 5 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना बहस सुने आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलान्टगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें सष्ट कथन किया था कि सेटलमेंट ने कोई गलती नहीं की है और न ही रकबा कम हुआ है ।

वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित इन्हीं पक्षकारों के मध्य एक प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण की पत्रावली को मंगवाये बिना मनमर्जी तरीके से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थयी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण अपीलान्ट को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

9. रेस्पोडेन्टगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त दस्तावेज दुर्भावना से पेश किये हैं उक्त दस्तावेजों का प्रस्तुत प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त दस्तावेज असंगत हैं तथा फोटो प्रतियॉ है जो किसी भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकती । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

10. हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में आवंटन आदेश की फोटो प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038 से 2058 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2048–51 की प्रमाणित प्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0 ख0) कोटा के निर्णय दिनांक 08.08.2012 की प्रमाणित प्रति एवं अन्य दस्तावेज पेश किये हैं । इसके अलावा सिविल न्यायालय में बयानात पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2, डीडब्ल्यू–1, डीडब्ल्यू–2, डीडब्ल्यू–3 और डीडब्ल्यू–4 एवं प्रदर्श – 12 की प्रमाणित प्रति पेश की गई हैं ।

11. एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने का कथन किया है । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व न्यायालय में लम्बित अन्य प्रकरण की न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रतियॉ और पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रतियॉ है उस दावे में भी वादी के द्वारा अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 296 का रकबा कम किया जाकर खसरा नम्बर 295 में मिलाने का कथन किया गया है ।

12. दोनों प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजात राजकीय दस्तावेज हैं और प्रकरण से सम्बन्धित है जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । कुछ दस्तावेजात फोटो प्रतियॉ भी हैं परन्तु प्रकरण धारा 225 के तहत प्रार्थना पत्र की अपील से सम्बन्धित है । अतः न्यायहित में दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर दोनों प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया है और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया है । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 03.08.2015 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार तहसीलदार के निर्णय दिनांक 03.10.2011 के खिलाफ पेश की गई अपील में प्रकरण रिमाण्ड किया गया है । उपनिवेशन विभाग सिंचाई परियोजना की आदेशिका की फोटो प्रतियॉ, उपनिवेशन सिंचाई विभाग योजना का बोली प्रपत्र, तहसील उपनिवेशन का आवंटन का नोटिफिकेशन की फोटो प्रति, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, उपनिवेशन तहसील लाडपुरा के पत्र दिनांक 18.01.1974 की फोटो प्रति एवं अन्य दस्तावेजात पेश किये गये हैं जो शामिल मिसल किये गये । पेश किये गये दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

14. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के खाते में साबिक खसरा नम्बर 10 की रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा आराजी दर्ज थी जिस पर वो काबिज काश्त चला आ रहा है । सेटलमेंट के बाद नये खसरा नम्बर 296 रकबा 1.37 हैक्टर कायम किये गये जबकि गत रकबे के मुकाबले 09 बीघा 03 बिस्वा का नया रकबा 1.46 हैक्टर बनता है जो दर्ज नहीं कर 1.37 हैक्टर रकबा ही दर्ज किया गया है और सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी कारण के उक्त आराजी का 0.09 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया गया है यह रकबा खसरा नम्बर 294 और 295 में दर्ज कर दिया गया है । अपीलान्ट के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इंकारी पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट स्वीकार किया है । इन्हीं पक्षकारों के मध्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य दावा विचाराधीन है जिसमें दिनांक 08.03.2019 की तारीख पेशी नियत है । बहस अंतरिम आदेश पर सुनी थी और अंतिम रूप से प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया है। जवाब में अपीलान्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि सेटलमेंट के द्वारा कोई रकबा कम नहीं किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा प्लॉट काटकर बेचान नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट ने अनेक न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत कर रखे हैं । आराजी सन् 1966 में अपीलान्ट को आवंटित हुई थी । रेस्पोडेन्ट का दावा रेसजूडीकेटा से बाधित है । मौका कमीश्नर नियुक्त किया जा सकता था जो नहीं किया गया है । सिविल न्यायालय में जो दावा पेश किया है उसमें रास्ते को बन्द करने का कथन किया है जो खारिज हो चुका है और राजस्व न्यायालय में अपने खाते की आराजी कम होने का कथन करते हैं जो विरोधाभासी हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

15. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते से कम की जाकर गलत रूप से सिवायचक दर्ज की गई थी । अपीलान्ट के खाते में साबिक खसरा नम्बर 10 की रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा आराजी दर्ज थी जिसका रकबा 1.46 हैक्टर बनता है । गलत रूप से इसका रकबा 1.37 हैक्टर कायम किया गया है और यह रकबा खसरा नम्बर 294 व 295 में मिला दिया गया है और इसको सिवायचक दर्ज किया गया । इसके उपरान्त अपीलान्टगण को गलत रूप से आवंटन किया गया है जबकि इस पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है । अपीलान्ट ने जो रूपान्तरण आदेश जारी करवाये थे वो भी संभागीय आयुक्त महोदय के द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते की है । सेटलमेंट को रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी कम करने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलान्ट इस गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 बहाल रखा जावे ।

16. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार रामचन्द्र पुत्र बिरधी लाल के खाते में खसरा नम्बर 296/2 की 0.45 हैक्टर दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार नया खाता संख्या 88 की मंगली बाई बेवा बिरधी लाल के खाते में खसरा नम्बर 296/1 की 0.46 हैक्टर आराजी दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 128 के अनुसार रामप्रताप पुत्र बिरधा के खाते में खसरा नम्बर 296 की रकबा 0.46 हैक्टर आराजी दर्ज है । फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 270/13 के हाल खसरा नम्बर 294, साबिक खसरा नम्बर 267/8 के हाल खसरा नम्बर 295 और साबिक खसरा नम्बर 10 मिन के हाल खसरा नम्बर 296 कायम किये गये हैं । नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति पेश की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2030–33 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 10 की रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा आराजी रामप्रताप, रामचन्द्र पुत्र बिरधा मु0 मंगली बाई के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 पेश की है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 51 में खसरा नम्बर 294 की रकबा 0.06 हैक्टर आराजी जुगल किशोर पुत्र रामकल्याण के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार नया खाता संख्या 55 में खसरा नम्बर 295 की रकबा 0.13 हैक्टर आराजी त्रिलोक चन्द, नवल किशोर, महेन्द्र कुमार व अन्य के खाते में दर्ज है । इसके अलावा नकल जमाबन्दी संवत् 2038–57 भू–प्रबन्ध विभाग भी पेश की गई है ।

17. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि साबिक खसरा नम्बर 10 का रकबा सेटलमेंट विभाग द्वारा कम किया जाकर हाल खसरा नम्बर 294 एवं 295 में शामिल किया गया है । पत्रावली पर जो फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है उसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 294 और 295 के साबिक खरसा नम्बर 10 नहीं हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा एक अन्य दावा भी इसी आराजी के बाबत् अपीलान्टगण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है जो जैरकार है और इसी आराजी के बाबत् सिविल न्यायालय में भी एक दावा पेश किया गया था जो दिनांक 08.08.2012 को खारिज हो चुका है । सिविल न्यायालय में पेश किये गये दावे में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 295 रकबा 0.13

हैक्टर में उनका कदीमी रास्ता है जिसको प्रतिवादीगण बन्द करने पर आमादा है और खसरा नम्बर 294 करबा 0.06 हैक्टर को अवैध रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आवंटन करवा लिया है । वह भूमि खेडा रसूलपुर रोड के बीच स्ट्रीप ऑफ लैण्ड है ।

18. इस प्रकार सिविल न्यायालय में उनके द्वारा अपने खाते की आराजी कम किये जाने का कथन नहीं किया गया है । वादी प्रार्थी के खाते की आराजी कम की जाकर किन खसरा नम्बरान में शामिल की गई है यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त ही तय होगा इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर अपीलान्ट खसरा नम्बर 294 और 295 के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । रिकॉर्डेड खातेदार एवं काबिज व्यक्ति के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं । इस आराजी में खसरा नम्बर 294 जुगल किशोर को सन् 1966 में आवंटन हुई है और खसरा नम्बर 295 रूपचन्द के खाते में सन् 1978 से दर्ज चली आ रही है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

19. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 निरस्त किया जाता है ।

20. निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.11.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा